कार्यालयः—भण्डार क्रय अधिकारी
उ0 प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा—281001

टेण्डर संख्याः— 17 / भं0क्रं0अ0 / 2020—21 दिनांकः— 11 / 12 / 2020

अति—अल्पकालीन निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान—पान व्यवस्था के लिये कार्य करने वालों से मुहरबंन्द निविदायें दिनांक 21—12—2020 के अपरान्ह 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिनांक 21—12—2020 अपरान्ह 03:00 बजे निविदादाताओं तथा समिति के समक्ष खोली जायेंगी । प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान—पान व्यवस्था हेतु सम्बन्धी विस्तृत विवरण एवं शर्ते तथा निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय के केन्द्रीय भंण्डार कार्यालय से दिनांक 14—12—2020 से रू0 1,000/— मात्र जमा करके प्राप्त किया जा सकता है, अथवा वेबसाईट www.upvetuniv.edu.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।

भण्डार क्रय अधिकारी

निविदा की शर्तें

1. टेण्डर निविदा शुल्क रू0 1000.00 नकद/बैंक ड्राफ्ट
2. धरोहर राशि रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) का बैक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर के रूप में वित्त अधिकारी, वेटरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा (Finance officer, Veterinary university, Mathura) के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में उनका टेंण्डर निरस्त समझा जायेगा।
3. टेण्डर प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रकाशित निविदा में दर्शित (दोपहर 01:00 बजे तक) होगी।
4. निविदा खोलने की तिथि प्रकाशित निविदा में दर्शित दिनांक को अपरान्ह 03:00 बजे माननीय कुलपति महोदय के समिति कक्ष में खेली जायेगी।
5. टेण्डर निविदा प्रत्येक वस्तु की दो अलग–अलग सील बंन्द लिफाफों में डालना आवश्यक है। उक्त लिफाफें पर निम्नलिखित लिखा होना आवश्यक है।
   - A. तकनीकी विड (Technical Bid)
   - B. वित्तीय विड (Financial Bid)
6. कृपया अवगत हों कि आप द्वारा प्रस्तुत दरें अनुमोदित होने की दिनांक से आगामी एक वित्तीय वर्ष तक के लिए मान्य होंगी। कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरान्त उक्त कार्य प्रस्तुत दरों पर आगामी चार वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है।
7. संन्तोषजनक आपूर्ति न होने पर ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।
8. समस्त निविदा को स्वीकृत करना अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
9. मुहरबंद निविदायें नियत समय व दिनांक तक भंण्डार क्रय कार्यालय में रखी निविदा पेटिका में डाली जानी चाहिए।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मथुरा रहेगा।
11. खान–पान हेतु समस्त क्रोकरी की व्यवस्था स्वंय करनी होगी तथा इसका कोई अतिरिक्त शुक्ल देय नहीं होगा।
12. आपूर्तिकर्ता को खान–पान हेतु एफ0एस0एस0ए0आई0 का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
13. खान–पान हेतु समस्त साम्रगी उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।

एतदद्वारा विक्रेता यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दरें उसके संज्ञान में सर्वाधिक प्रतियोगित्मक व न्यूनतम हैं व मांगे गये विवरण के अनुरूप होने वाली वस्तुओं की दरें ही प्रस्तुत की गई है। सम्बन्धित कार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा दी गई समस्त शर्ते मुझे पूर्णत स्वीकार है। साथ ही यह सहमति भी देता है कि आपूर्ति की गई वस्तुओं के निम्न गुणवत्ता के होने की दशा में क्रेता द्वारा क्रय की पूर्ण सामग्री को या उसके ऐसे भाग को जिसे क्रेता उपयुक्त समझे, विक्रेता अपने खर्चे पर विश्वविद्यालय भंण्डार से ले जायेगा व उसे उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं से बदले

दिनांक–

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय भण्डार क्रय अधिकारी,
उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय, पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा ।

तकनीकी विड

(प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों मे खान पान व्यवस्था)

1– निविदाकर्ता एजेन्सी / ब्यक्ति का नाम तथा पता ....

2– फर्म का नाम ....

3– फोन नं0 ....

4– धरोहर राशि रू0 1000 / – के बैंक ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 का विवरण

बैंक ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 संख्या– दिनांक– बैंक का नाम–

5– जी0एस0टी0 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति एवं विवरण ....

6– आयकर विभाग का पैन नं0 ....

7– एफ0एस0एस0ए0आई0 (FSSAI)की प्रमाणित प्रति ....

नोट :–

1– पूर्णतः भरा हुआ तकनीकी बिड प्रपत्र प्रकाशित निविदा मे दर्शित तिथि के अनुसार विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगीं ।

2– धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 के रूप मे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से वित्त अधिकारी, वैटेरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा (Finance Officer, Veterinary University, Mathura)के नाम से आई0ओ0बी0 बैंक, वैटेरिनरी कॉलेज शाखा मे कम से कम 12 महीन बैद्यता की देय होगी ।

3– जी0एस0टी0 / टिन नं0 / पैन नं0 / FSSAI की स्वप्रमाणित प्रति होनी आवश्यक है ।

4– साझेदारी / स्वामित्व घोषणा की स्थिति मे प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ब्यक्ति का पूरा नाम, पता तथा मोबाईल फोन नं0 स्पष्ट रूप से अंकित हो ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम –

पता–

फोन नं0 –

दिनांक –

निविदा संख्या–

निविदाकर्ता का पता व दूरभाष संख्या ____________________________

____

____

प्रेषक,

____
____
____
____

सेवा में,
भण्डार क्रय अधिकारी,
उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय, पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय,
एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा–281001

महोदय,

मैं/हम इस पत्र के साथ संलग्न निविदा शेड्यूल मे दी गई सभी वस्तुओं/कुछ दर्शाई गई वस्तुओं की प्रस्तुत दरों पर आपूर्ति हेतु स्वीकृति के लिये निविदा प्रस्तुत करते है ।

मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश व सुझाव तथा टेण्डर शेड्यूल व निविदा परिशिष्ट मे दी गई शर्तों व प्रतिबंधों को भली प्रकार पढ व समझ लिया है । मेरे/हमारे द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुयें आपकी मांग के अनुयरूप ही होंगी ।

इस पत्र के संलग्नक के रूप मे बाद मे पेज लगाये गये है तथा ये पेज इस निविदा की मांग है ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम –

पता–

फोन नं0 –

दिनांक –

प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था हेतु सामान्य शर्ते

1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्री लाने एवं गैस सिलेन्डर भरवाने आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।
2. निविदादाता के द्वारा विद्यार्थियों को उच्च गुणवक्ता वाला खाना ही उपलब्ध कराना होगा।
3. वर्तमान में खान–पान का टेण्डर (निविदा) मात्र एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा।
4. निविदादाता पूरे एक वर्ष की अवधि में खान–पान का कार्य स्वंय करेगा तथा किसी भी अन्य से सबलेट (सिकमी ठेकेदार/किराये पर) नहीं करायेगा।
5. प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था का कार्य के दौरान व उपरान्त परिसर में धूम्रपान व मदीरापान (मघपान) पूर्णतः वर्जित होगा।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था का कार्य करने वाले निविदादाता के बेरा/चाकर संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होने चाहिये। निविदादाता द्वारा अपनी मैंस के बेरा/चाकरों के स्वास्थ्य की जॉच कराकर उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था में कार्यरत निविदादाता के बेरा/चाकर साफ, स्वच्छ एवं एक समान वर्दी में होने चाहियें तथा व्यवहार कुशल होने चाहियें।
8. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था मं कार्यरत निविदादाता के वेरा/चाकर के अकस्मात बीमार अथवा घटना, दुर्घटना हो जाने की स्थिति में उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी पूर्णत निविदादाता की ही होगी।
9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था का ठेका समाप्त हो जाने के उपरान्त निविदादाता को विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों/उपकरणों आदि को सही स्थिति में विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करना होगा।
10. निविदादाता किसी भी मैंस के अंन्दर किसी भी प्रकार का निर्माण/नवीनीकरण (रिनोवेशन) का कार्य बिना सक्षम अधिकारी महोदय की अनुमति के नहीं करेगा।
11. खानें की गुणवत्ता को छात्रावास खान–पान समिति किसी भी समय जॉच कर सकती है। यदि खाने की गुणवत्ता से समिति संन्तुष्ट नहीं होती है तो अर्थदण्ड/ठेका निरस्त किया जा सकता है।
12. आवासित समस्त विद्यार्थियों को तीनों समय का खाना निर्धारित समय पर ही उपलब्ध कराना होगा अन्यथा आर्थिक दण्ड किया जा सकता है।
    1. सुबह का नाश्ता– प्रातः 07:00 बजे से 09–30 बजे तक
    2. दोपहर का खाना– दोपहर 12:30 बजे से 02:00 बजे तक
    3. रात्रि का खाना– सॉय 07:30 बजे से 09:30 बजे तक
13. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को निविदादाता/वेरा/चाकर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहूॅचती है, तो उन्हें अर्थ दण्ड दिया जायेगा।
14. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था के वेरॉ/चाकर की आयु 158 वर्ष से अधिक होनी चाहियें।
15. विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकारी होगा।
16. खाना भोजन कक्ष (डायनिंग हाल) में ही परोसना होगा।
17. खाना गैस पर ही बनाना होगा।
18. निविदादाता विश्वविद्यालय प्रशासन की बिना अनुमति के विश्वविद्यालय परिसर से बाहर कोई खाना सप्लाई नहीं करेगा।
19. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था का कार्य सम्बंन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय होगां।
20. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान–पान व्यवस्था के ठेके से संम्बन्धित विवाद का स्थान मथुरा न्यायालय ही होगा।
21. यदि निविदादाता निविदा में दी गई शर्तो का उल्लंघन करता है तो अर्थदण्ड/ठेका निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक– निविदाकर्ता के

हस्ताक्षर